बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक 30.3.16

संख्या-21/एस0एस0सी0-36/2012, 4659 बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 के लागू होने के पश्चात् उसके क्रियाशील होने में संभावित विलंब को देखते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–13273 दिनांक–22.09.2014 एवं पुनः विभागीय अधिसूचना संख्या–8039 दिनांक–04.06.2015 द्वारा यह आदेश दिया गया कि बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 के अनुसूची में सम्मिलित ऐसे सभी पदों, जिनके लिए पूर्व में बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाएँ आयोजित कर चयन की कार्रवाई करता था, के लिए चयन की आवश्यक कार्रवाइयाँ एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारंभ की गयी प्रक्रिया पूर्ववत पूर्ण की जाती रहेगी।

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग को क्रियाशील करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है एवं अभी भी कतिपय कार्रवाइयाँ शेष हैं। इन कार्रवाइयों के पूरा हो जाने के बाद ही बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाएँ आयोजित करने हेतु विधिवत् कार्य आरंभ कर सकेगा।

अतः बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा–16(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि नवगठित आयोग के क्रियाशील होने तक "बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014" की अनुसूची में सम्मिलित ऐसे सभी पदों, जिनके लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग अपनी अनुसूची में सम्मिलित पदों के लिए परीक्षाएँ आयोजित कर चयन करता था, के लिए चयन की आवश्यक कार्रवाइयाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्ववत की जाती रहेंगी।

बिहार तकनीकी कर्मचारी आयोग के क्रियाशील होने की अधिसूचना अलग से निर्गत की जायेगी। बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के क्रियाशील होने की अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत भी जिन तकनीकी पदों के लिए "बिहार कर्मचारी चयन आयोग" द्वारा विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित किया जा चुका होगा, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही पूर्ण की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
30/3/2016
(केशव कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–21/एस0एस0सी0–36/2012, 4659 पटना–15, दिनांक 30.3.16

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ भेजने हेतु सी0डी0 सहित प्रेषित।

30/3/2016
सरकार के संयुक्त सचिव।

Section -21 adhi -196

ज्ञापांक–21/एस0एस0सी0–36/2012, ...4659.... पटना–15, दिनांक ....30.3.16....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/3/2016

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–21/एस0एस0सी0–36/2012, ...4659.... पटना–15, दिनांक ....30.3.16....

प्रतिलिपिः–राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/2016

सरकार के संयुक्त सचिव।